

खाबीज

24.09.2024


फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/594

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
मोहरसिंह बनाम हंसराज आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 440 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.09.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ १</p>	
24.09.2024	<p>वकील वादी ने जमाना-पर मिशाल पेवणी पेका करते पर पत्रावली को पेवणी में लिफा 01/24 वकील वादी ने निवेदन दिया कि वही पत्रावली काराणी नामा होने के कारण वह पत्र खाबीज करवाना चाहते हैं। कत वह पत्र मोंपूदा सिधर में खाबीज किया जाला है। पत्रावली नखर के कम की जाकर काइ तरमीब तबकील जाला दाखिल रफकर हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ १</p>	<p>शलीनामा होने के कारण ओगे को इकार्यवाही नहीं चाहते हैं।</p> <p style="text-align: center;">  L.T. मोहरसिंह पत्रावली 24/9/2024 </p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

